

किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 9 व 11 से 15 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 9 व 11 से 15 को कितनी ही मर्तवा विधिवत् आवाजे जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.8.2018 को एक तरफा कार्यवाही ने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी संख्या 10 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान के कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण कार्यवाही दिनांक 6.8.2018 को ड्रॉप की गयी। विपक्षी 16 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 4.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही ने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते काशत की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काशत करते समय, काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने व कब्जे काशत की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 त स्वीकार किया जाकर ग्राम हरणीकंला तहसील पटवार हल्का हरणीकंला भू-अभिलेख निरीक्षक डा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 759, 798, 799, 867, 932, 933, 968, 969, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 1803/759 कुल किता 16 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा गीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के भू-अभिलेख निरीक्षक, भीलवाड़ा को 2400/-रुपये (दौ हजार चार सौ रुपये) कमिश्नर फीस मिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये लदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
भीलवाड़ा